



बैंकिंग से परे संबंध
संपदा विभाग, कोलकाता आंचलिक कार्यालय

निविदा संख्या: _____

निविदा पत्रों की मुख्य विशेषताएं:

कार्य का नाम	सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा के लिए निविदा न्यू गरिया के प्रस्तावित नए परिसर के लिए कार्य कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत शाखा
निविदा दस्तावेज़ के संग्रह की आरंभ तिथि	मई 05 अगस्त, 2025
निविदा दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि	11 वीं अगस्त, 2025 अपराह्न 3:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	11 वीं अगस्त, 2025 अपराह्न 3:30 बजे
बयाना राशि	रु. 27,000/- बैंक ऑफ़ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में देय। जो फर्म एमएसएमई के तहत पंजीकृत हैं, उनकी ईएमडी छूट दी जाएगी। फर्म को वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा हमारे संदर्भ के लिए निविदा के साथ एमएसएमई प्रमाण पत्र।
निविदा शुल्क	बैंक के पक्ष में 500/- रुपये का गैर-वापसीयोग्य निविदा शुल्क भारत सरकार द्वारा कोलकाता में देय। पंजीकृत फर्म एमएसएमई के अंतर्गत उनकी निविदा शुल्क में छूट दी जाएगी। फर्म साथ में वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा हमारे संदर्भ के लिए है।

आवेदक/संगठन का नाम :

संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर :

मेल पता :

ब्रेड नं. :

जीएसटी सं. :

तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज:

1*	<p>क) बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में 27000/- रुपये की राशि का डीडी/पे ऑर्डर, जो कोलकाता में देय हो। कृपया ध्यान दें कि आवेदक को अपना/अपनी फर्म का नाम और निविदा का नाम पीछे लिखना चाहिए। वेतन आदेश का विवरण (एमएसएमई पंजीकृत फर्म के लिए लागू नहीं)।</p> <p>ख) कोलकाता में देय "बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में 500/- रुपये की राशि का डीडी/पे ऑर्डर। कृपया ध्यान दें कि आवेदक को अपना/अपनी फर्म का नाम और निविदा का नाम पीछे लिखना चाहिए। वेतन आदेश का विवरण (एमएसएमई पंजीकृत फर्म के लिए लागू नहीं)।</p>
2*	यदि फर्म/व्यक्तिगत है तो आवेदक की श्रेणी के आधार पर पैन कार्ड की फोटोकॉपी।
3*	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
4*	एमएसएमई प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

विषयसूची

क्रम सं.	ब्यौरा	पृष्ठ	
		से	को
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	4	5
2.	सामान्य जानकारी	5	5
3.	निविदा प्रस्तुत करने का प्रारूप	6	6
4.	समझौते का प्रारूप	8	9
3.	अनुबंध की सामान्य शर्तें	10	19
4.	तकनीकी विशिष्टता	21	24
5.	अनुमोदित सामग्रियों की सूची	25	25

बैंक ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आंचलिक कार्यालय- कोलकाता
5, बीटीएम सारणी, कोलकाता 700 001

निविदा सूचना

बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता अंचल सिविल सेवा के लिए बैंक के सूचीबद्ध ठेकेदारों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित करता है।

बैंक ऑफ इंडिया न्यू गरिया शाखा और एटीएम के नए परिसर में इंटीरियर फर्निशिंग का कार्य।

- ए) कार्य का नाम : बैंक ऑफ इंडिया के नए परिसर में सिविल और आंतरिक साज-सज्जा का कार्य भारत न्यू गरिया शाखा और एटीएम
- बी) अनुमानित लागत : लगभग 13.41 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर)
- सी) 1. बयाना राशि : रु. 27000/- (केवल सत्ताईस हजार रुपये)
बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पीओ के माध्यम से, देय कोलकाता.
2. निविदा धन : रु. 500/- (केवल पाँच सौ रुपये)
बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पीओ के माध्यम से, देय कोलकाता.
जो फर्म एमएसएमई के तहत पंजीकृत हैं, उनकी ईएमडी होगी छूट प्राप्त है। फर्म को एमएसएमई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा हमारे संदर्भ के लिए तकनीकी बोली के साथ।
- डी) पूरा होने का समय : 15 दिन.
- और) निविदा का आवेदन शुल्क : रु. 500/-
- एक) निविदा की उपलब्धता : निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे www.bankofindia.co.in 05.08.2025 से 11.08.2025 तक कहीं से इसे आवेदक द्वारा निःशुल्क डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी यहां से प्राप्त किया जा सकता है। "संपदा विभाग", द्वितीय तल, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय सामान्य दिनों के दौरान रविवार और छुट्टियों को छोड़कर कार्यालय समय में "बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में देय डीडी या पे ऑर्डर के रूप में 500/- रुपये का भुगतान करना होगा। और है कलकत्ता।
- जी) निविदा प्रस्तुत करना : लिफाफा संख्या 3 में ईएमडी और निविदा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे दस्तावेजों के रूप में
निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 में दी गई निविदा शर्तें और विनिर्देश, आदि। लिफाफा संख्या - 2 में अनुसूची शामिल होगी मात्रा और दरें विधिवत भरी और हस्ताक्षरित होनी चाहिए। लिफाफा संख्या-1 लिफाफा -2 और 3 शामिल करें। सभी लिफाफों पर ऊपर लिखा होना चाहिए "सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा कार्य के लिए निविदा बैंक ऑफ इंडिया की नई गरिया शाखा का नया परिसर कोलकाता अंचल कार्यालय"। आवेदक को लिफाफे पर अपना नाम, पता, संपर्क नंबर और ई-मेल पता लिखना चाहिए। अंतिम निविदा दस्तावेज जमा करने की तिथि 11 अगस्त, 2024 तक है
5, बीटीएम सारणी, कोलकाता - 700001 स्थित कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के द्वितीय तल पर अपराह्न 3.00 बजे तक।
- h) तकनीकी बोली खोलने की तिथि पर : तकनीकी बोली और वित्तीय बोली एक ही कार्यालय में खोली जाएंगी
11 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3.30 बजे बोलीदाताओं की उपस्थिति में उपस्थित होने का विकल्प चुनें। इसके लिए कोई अलग सूचना नहीं दी जाएगी। वही।

अतिरिक्त नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

- i) दोष दायित्व अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष होगी। इस पत्र के साथ ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज़ भी आपकी मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिन्हें एक के रूप में माना जाएगा निविदा का एक हिस्सा। पूरा काम हमारे आर्किटेक्ट्स की देखरेख में किया जाएगा। ii) कुल सुरक्षा जमा: कुल सुरक्षा जमा (टीएसडी) दिए गए अनुबंध मूल्य का 10% होगा।
-
- या वास्तविक कार्य मूल्य, जो भी अंतिम रूप से निर्धारित हो। टीएसडी में ईएमडी और प्रतिधारण राशि शामिल होगी। प्रतिधारण टीएसडी अनुमानित या अनुमानित राशि के 10% पर वसूल होने तक चालू बिलों के 5% पर धनराशि वसूल की जाएगी। वास्तविक कार्य जो भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
- iii) बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

बैंक ऑफ इंडिया,

आंचलिक कार्यालय - कोलकाता

5 बीटीएम सारणी, 5 वीं मंजिल

कोलकाता - 700001

निविदा प्रस्तुत करने का प्रारूप

(निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

आंचलिक प्रबंधक, बैंक
ऑफ इंडिया, आंचलिक
कार्यालय, 5 बीटीएम
सारणी, कोलकाता -
700001

श्रीमान,

विषय: बैंक ऑफ इंडिया न्यू गरिया शाखा और एटीएम के नए परिसर में सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा कार्य के लिए निविदा
कोलकाता ज़ोन के अंतर्गत।

- हम उपरोक्त कार्यों के लिए आपके द्वारा जारी निविदा सूचना का संदर्भ लेते हैं।
- मैं/हम एतद्वारा रुपये _____ की राशि के लिए चित्रों, अनुबंध की शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के अनुरूप कार्यों को निष्पादित, निष्पादित, पूरा और बनाए रखने की पेशकश करता/करती हूँ/करते हैं।
मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची में उद्धृत संबंधित दरें।
- मैंने/हमने साइट की स्थिति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, चित्रों और सभी पहलुओं की जांच कर ली है।
निविदा की शर्तों के अधीन, मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यदि यह निविदा पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तो:-
 - यहां संलग्न सभी शर्तों और प्रावधानों का पालन करना और उन्हें पूरा करना,
 - कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूरा करना होगा।
- मैंने/हमने 27000/- रुपये (केवल सत्ताईस हजार रुपये) की बयाना राशि डीडी में जमा कर दी है।
बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में देय ऋण, जिस पर, मैं/हम नोट करते हैं, कोई ब्याज नहीं लगेगा और यह उत्तरदायी है
ज़ब्त के लिए:
 - यदि हमारी पेशकश स्वीकृति की वैधता अवधि के भीतर वापस ले ली जाती है।
या
 - यदि हम निविदा की शर्तों में कोई संशोधन करते हैं जो स्वीकार्य नहीं है तो
बैंक.
या
 - यदि कार्य आदेश प्राप्त होने/सौंपने के सात (07) दिनों के भीतर कार्य शुरू नहीं किया जाता है
साइट का ओवर जो भी बाद में हो
- मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी/सभी निविदाओं को बिना कोई निर्देश दिए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
चाहे जो भी कारण हो। इसके अलावा, हम समझते हैं कि बैंक सबसे कम या किसी भी
निविदा आपको प्राप्त होगी।

आपका विश्वासी,


हस्ताक्षर _____

तारीख _____

पद का नाम _____

कंपनी का नाम _____ पता _____ फोन _____

नं. _____



मुहर

सामान्य टिप्पणियां :

1. निविदा भरने और जमा करने की प्रक्रिया

निविदाकर्ताओं को अपनी दर अंकों और शब्दों में उद्धृत करनी चाहिए, जहां मात्रा का उल्लेख किया गया है। मात्राओं की अनुसूची। ऐसा न करने पर निविदा अमान्य हो सकती है। मिटाने या ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं होगी। यदि निविदा में संशोधन अपरिहार्य हो जाए तो संपूर्ण दर (न कि केवल एक भाग) में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे रद्दीकरण के प्रतीक के रूप में निविदाकर्ता द्वारा उसे काट दिया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा (केवल आद्याक्षर नहीं)। एक नई दर निर्दिष्ट तरीके से सही ढंग से लिखा जाएगा।

ii) यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, तो उस पर फर्म के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऐसा करने के लिए कानूनी प्राधिकार होना चाहिए, और यदि मांगा जाए तो इसके समर्थन में कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

निरीक्षण और फर्म के मामले में यह निरीक्षण संयुक्त परिवार के एक सदस्य द्वारा किया जाता है। इसमें खुलासा करना होगा

यह कि फर्म भारत भागीदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है। किसी भी निविदा पर किसी ऐसे सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, जिसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी को अनौपचारिक माना जाएगा।

iii) निविदाकर्ता को अपनी दरें स्याही वाले पेन/बॉल पेन से अंग्रेजी में शब्दों और अंकों दोनों में बतानी होंगी। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, केवल शब्दों में दी गई दरें ही मान्य होंगी। निविदा स्पष्ट और सुपाठ्य होनी चाहिए और पूरी तरह से लिखी होनी चाहिए।

निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हाथ से और उसी कलम व स्याही से किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

iv) नियोक्ता अपने पास न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या किसी भी वस्तु को विभाजित करने और वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

बिना कोई कारण बताए किसी विशेषज्ञ फर्म या फर्मों को काम सौंपना। नियोक्ता के पास काम को विभाजित करने और

यदि आवश्यक हो, तो कार्य को एक से अधिक निविदाकर्ताओं को वितरित करें। निविदा देने वाला व्यक्ति एक साथ जमा करेगा और वापस करेगा।

अपनी निविदा के साथ, अनुबंध की शर्तें और मात्राओं की मूल्य सूची और हस्ताक्षरित सभी कागजात

सभी पृष्ठ सीलबंद लिफाफे में रखें। हस्ताक्षर को इस निविदा की विषय-वस्तु की स्वीकृति माना जाएगा।

निविदाकर्ता द्वारा कागजात प्रस्तुत करना।

निविदाकर्ता ध्यान दें कि उनकी निविदाएं न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी।

निविदाएं (मूल्य बोली) खुलने की तिथि से। निविदा बिना शर्त होनी चाहिए। सशर्त निविदाएं

सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

निविदाएं प्रस्तुत करना:

निविदाएं निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, सीलबंद लिफाफे में कार्यालय में प्रस्तुत की जानी हैं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

निविदा सूचना। निविदा खोलने के दौरान निविदाकर्ता का अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

2. बीमा:

ठेकेदार की दरों में आवश्यक बीमा पॉलिसियां शामिल होनी चाहिए, ताकि कार्य के दौरान चोरी, आग का खतरा, कामगारों को मुआवजा, व्यक्तियों, पशुओं, चीजों आदि को चोट लगने के सभी जोखिमों को कवर किया जा सके, जैसा कि विवरण में बताया गया है।

अनुबंध की शर्तों का पालन करें और बैंक के सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें।

4. कार्य के घंटे :

कार्य दिन के समय या बैंकिंग समय के बाद या रात में पूर्व व्यवस्था/अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा।

बैंक/नियोक्ता और कार्य निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए

ज्यादा खर्च।

समझौते का प्रारूप

सफल निविदाकर्ता (ठेकेदार) और ग्राहक द्वारा निम्नलिखित अनुबंध-पत्रों पर 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर खरीदा जाएगा।

यह समझौता 2025 के दिन आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक.के.बी.क्रिया गया
कार्यालय-कोलकाता, 5, बीटीएम सरणी, द्वितीय तल, कोलकाता - 700 001. (इसके बाद नियोक्ता के रूप में संदर्भित)
अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी शामिल होंगे) एक भाग
और या जिसका पंजीकृत स्थित है कार्यालय है
दूसरे पक्ष के (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा)।

जबकि मालिक नए परिसर में सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा का कार्य कराने का इच्छुक है।
बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत गरिया शाखा और एटीएम (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) और इसके कारण
मेसर्स के निर्देशन में या उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्य को दर्शाने और उसका वर्णन करने वाले चित्र और मात्रा के बिल।
धर एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, 7, रेड क्रॉस प्लेस, 4 वां फ्लोर, कोलकाता - 700 001 और उनके आर्किटेक्ट (इसके बाद
आर्किटेक्ट्स के रूप में संदर्भित)

और जबकि ठेकेदार ने मालिक को उक्त मात्रा बिलों की पूरी कीमत वाली प्रति प्रदान की थी (जो प्रति
इसके बाद "अनुबंध बिल" के रूप में संदर्भित) और जबकि उक्त चित्र (इसके बाद "अनुबंध बिल" के रूप में संदर्भित)
अनुबंध चित्र") और अनुबंध बिलों पर पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं: और जबकि
ठेकेदार ने इस कार्य के सम्यक निष्पादन के लिए नियोक्ता के पास रुपये जमा कर दिए हैं।
समझौता।

अब निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

- इसके बाद उल्लिखित विचार के लिए ठेकेदार संलग्न शर्तों के अधीन होगा
अनुबंध चित्रों पर दिखाए गए और वर्णित कार्य को पूरा करें
उक्त शर्तों में अनुबंध विधेयक में उल्लेख किया गया है।
- नियोक्ता ठेकेदार को रुपये की राशि का भुगतान करेगा(जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा)
राशि") या ऐसी अन्य राशि जो इसके अंतर्गत निर्दिष्ट समय पर और निर्दिष्ट तरीके से देय होगी
स्थितियाँ।
- शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ उक्त मेसर्स धर एंड एसोसिएट्स होगा
प्राइवेट लिमिटेड, 7, रेड क्रॉस प्लेस, चौथी मंजिल, कोलकाता - 700 उनकी मृत्यु या पद पर बने रहने की स्थिति में।
इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए "वास्तुकार" ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर ठेकेदार को निम्नलिखित कारणों से आपत्ति होगी
माना जाता है
नियोक्ता द्वारा पर्याप्त होगा बशर्ते कि बाद में इस अधिनियम के तहत "वास्तुकार" के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति न हो।
अनुबंध में किसी भी प्रमाण पत्र या राय या निर्णय या अनुमोदन या निर्देश की अवहेलना करने या उसे रद्द करने का अधिकार होगा
वर्तमान में पूर्व "वास्तुकार" द्वारा दिया गया या व्यक्त किया गया।
- ठेकेदार अनुबंध में निर्धारित उक्त कार्य को विधिवत निष्पादित करने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और वचनबद्ध हैं।
नियोक्ता की ओर से नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा प्राप्त कार्य आदेश संख्या और उसके बाद
सामान्य नियम के तहत और उसके द्वारा प्राधिकृत तरीके से समय-समय पर प्राप्त संशोधन, यदि कोई हों,
अनुबंध की शर्तों। उक्त कार्य अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान सभी के साथ आगे बढ़ेंगा
उचित परिश्रम, तत्परता, सावधानी और सटीकता के साथ तथा कर्मचारी की संतुष्टि के अनुसार कार्य करना।
आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया जाएगा और उक्त विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों, मात्राओं के बिल के अनुसार पूरा किया जाएगा।
और उक्त कार्य आदेश में उल्लिखित नियत तिथि को या उससे पहले निर्देश, समय अनुबंध का सार है
ठेकेदारों की ओर से।

निर्धारित समय से परे कार्य के किसी भी भाग को पूरा करने पर बैंक ऑफ इंडिया की कोई आपत्ति नहीं है।
बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधिकारों और उपलब्ध उपायों को लागू करने के लिए
इस समझौते और अनुबंध की शर्तों में ज़ब्ती, क्षति, जुर्माना या अन्यथा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और
इस संबंध में निगम के अधिकारों का त्याग नहीं किया जाएगा।

- किसी भी प्रावधान के तहत ठेकेदारों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
इस समझौते के प्रावधान और उक्त कार्य आदेश के अनुबंध की सामान्य शर्तों या अन्यथा
कानून, यदि ठेकेदार इस समझौते और / या के नियमों और शर्तों का कोई चूक या उल्लंघन करते हैं
अनुबंध की सामान्य शर्तों और/या कार्य आदेश या पत्री का समय के भीतर उचित निष्पादन
अनुबंध द्वारा निर्धारित (जो अनुबंध का सार है) और निर्धारित समय पर संपूर्ण कार्य पूरा नहीं करते हैं
नियत तारीख तक, बैंक ऑफ इंडिया, ठेकेदारों से वसूली करने का हकदार होगा और ठेकेदार इसके लिए सहमत हैं
नियोक्ता को मुआवजे या निश्चित क्षति के रूप में दर पर गणना की गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है
प्रति सप्ताह अनुमानित राशि का 0.5%, अनुबंध राशि के अधिकतम 05% के अधीन, कुल तक सीमित

सुरक्षा जमा राशि, उसका एक भाग, उस मद के संबंध में निर्धारित तिथि से अधिक विलंब जो पूरी नहीं हुई है। या अनुबंध में उल्लिखित निर्धारित तिथि पर बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरह से तैयार और वितरित किया गया कार्य आदेश और घोषणा करें कि ऊपर निर्धारित मुआवजे या निश्चित क्षति की राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हानि के वास्तविक, निष्पक्ष और उचित पूर्व आकलन इसके कारण बैंक ऑफ इंडिया को होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए एतद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और इस प्रावधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय राशि को उचित माना जाएगा, चाहे वास्तविक नुकसान हुआ हो या नहीं, मुआवजा दिया जाएगा और बैंक ऑफ इंडिया को इसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विशेष रूप से सहमति और घोषणा की जाती है कि इस घटना में

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि के बाद कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उपर्युक्त प्रावधान मान्य नहीं माने जाएंगे।

बैंक ऑफ इंडिया को ठेकेदारों के विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग करने से रोकना या रोकना, जिसमें विभागीय रूप से या किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से कार्य पूरा करना शामिल है या

एजेंसी या अन्यथा जो भी ठेकेदारों और बैंक ऑफ इंडिया के जोखिम और खाते पर हकदार होगा

वसूली के लिए और ठेकेदार ऐसे सभी नुकसान और क्षति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे, जो बैंक ऑफ इंडिया,

इसके कारण नुकसान उठाना पड़ता है। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड को उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

भारत, अनुबंध की सामान्य शर्तों के तहत।

6. ठेकेदारों को कार्य स्थल पर निरंतर एक सक्षम पर्यवेक्षक या अन्य सक्षम तकनीकी अधिकारी को रखना होगा। कार्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक व्यक्ति और बैंक / आर्किटेक्ट / अधिकृत द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या स्पष्टीकरण ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में प्रतिनिधि द्वारा दिया गया पत्र ठेकेदारों को दिया गया माना जाएगा।
7. ऊपर उल्लिखित योजनाएं, समझौते और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे और निर्णय उक्त वास्तुकार को अनुबंध की शर्तों में उल्लिखित समय के लिए, अनुमोदन के साथ लिया गया है नियोक्ता, सामग्री, कारीगरी या खाते के संबंध में विवाद के सभी मामलों के संदर्भ में और इस समझौते के खंडों या संलग्न किसी अन्य दस्तावेज़ की इच्छित व्याख्या अंतिम होगी और यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और न्यायालय का नियम भी हो सकता है।
8. उक्त अनुबंध में उपर्युक्त भवन और उससे संबंधित सहायक कार्य शामिल हैं उसी साइट पर, जैसा कि उक्त वास्तुकारों द्वारा समय-समय पर किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, नियोक्ता की स्वीकृति के बिना भी, भले ही ऐसे कार्य चित्रों में नहीं दिखाए गए हों या वर्णित न हों। उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य अनुसूची।
9. नियोक्ता, आर्किटेक्ट के माध्यम से, चित्रों, कार्य की प्रकृति और अन्य परिवर्तनों के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। किसी कार्य में कुछ जोड़ना या उसे छोड़ना या उसके किसी भाग को विभागीय या अन्यथा रूप से पूरा करवाना और ऐसे परिवर्तन या बदलाव इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किए जाएंगे। बशर्ते कि ठेकेदार को अनुबंध में निर्धारित स्वीकार्य दरों के अलावा किसी अन्य मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन, अधिसूचना, विविधता, चूक आदि के लिए अनुबंध या अन्यथा पारस्परिक रूप से सहमति होनी चाहिए।
10. इसमें निहित शर्तों को इस समझौते के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और यहां के पक्षकार क्रमशः शर्तों का पालन करेंगे, उनके अधीन रहेंगे और अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे क्रमशः ऐसी स्थितियों में निहित।
11. अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को धारा 12 में निर्धारित शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। "अनुबंध की विशेष शर्त"।
12. इस अनुबंध के विभिन्न भाग हमें पढ़कर सुनाए गए हैं और हमने उन्हें पूरी तरह समझ लिया है।

उक्त पक्षों के हस्ताक्षरों की गवाही।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित

गवाह की उपस्थिति में

नाम: पता:

नियोक्ता:

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित

गवाह की उपस्थिति में

नाम: पता:

अनुबंध की सामान्य शर्तें

1. व्याख्या

इन शर्तों, मात्राओं की अनुसूची, निविदा और समझौते की व्याख्या करते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा

यहां उन्हें जो अर्थ दिया गया है, उसे छोड़कर जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो:

- *) नियोक्ता: नियोक्ता शब्द का तात्पर्य 'बैंक ऑफ इंडिया' से होगा, जिसका आंचलिक कार्यालय 5 बीटीएम सारणी, कोलकाता - 700001 में है तथा उसके किसी भी कर्मचारी का प्रतिनिधि उसकी ओर से प्राधिकृत किया जाएगा।
- ii) आर्किटेक्ट: आर्किटेक्ट शब्द का अर्थ 'धर एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड' होगा, जिसका कार्यालय 7, रेड क्रॉस में होगा।
स्थान, 4 वॉ प्लोर, कोलकाता - 700001
- ii) ठेकेदार: ठेकेदार शब्द का अर्थ _____ (ठेकेदार का नाम और पता) और उसका/उनका होगा
उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी।
- iii) स्थल: स्थल से तात्पर्य उस स्थल से होगा जहां कार्य निष्पादित किया जाना है
- *) कार्य विनिर्देशों, मात्रा अनुसूची और किसी भी आगे के अनुसार किया जाना है
कार्य के निष्पादन के दौरान वास्तुकार/नियोक्ता द्वारा दिए जा सकने वाले निर्देश। ठेकेदार को
किसी भी मामले में होने वाले सभी स्पष्टीकरणों के लिए लिखित में मांग करें, जो घटना के कम से कम 10 दिन पहले हो।
कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है ताकि आर्किटेक्ट/नियोक्ता उस पर निर्णय देने में सक्षम हो सके।
- हम) "कार्य" से तात्पर्य इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित या किए जाने वाले कार्य या कार्यों से होगा।
- सालबी) "मात्राओं की अनुसूची" से तात्पर्य निर्दिष्ट मात्राओं की अनुसूची से होगा जो इस अनुबंध का हिस्सा है।
- आठ) "मात्राओं की मूल्य अनुसूची" का अर्थ स्वीकृत उद्धृत मूल्य के साथ विधिवत मूल्य वाली मात्राओं की अनुसूची होगा
ठेकेदार की दरें.

2. दायरा

इस कार्य में बैंक ऑफ इंडिया, न्यू गरिया के नए परिसर में सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा का कार्य शामिल है।
कोलकाता आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत शाखा और एटीएम "मात्राओं की अनुसूची" के अनुसार। इसमें शामिल हैं
सभी आवश्यक सामग्री, श्रम, औजार और उपकरण उपलब्ध कराना तथा आकस्मिक प्रबंधन करना।
निर्माण और कार्य का समापन। वास्तुकार की सलाह पर नियोक्ता अपनी पूर्ण इच्छा से
विवेकाधिकार से आगे लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे, जो इसके बाद सामूहिक रूप से होंगे
निम्नलिखित के संबंध में "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित:

- ए) कार्यों की गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी भी चीज़ का जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन
काम।
- बी) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी भी दोषपूर्ण सामग्री को साइट से हटाना और उसके स्थान पर अन्य सामग्री लगाना।
उसकी कोई अन्य सामग्री।
- सी) ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को ध्वस्त करना, हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- डी) इसके बाद उल्लिखित खंडों के अंतर्गत किसी भी दोष का सुधार और उसे ठीक करना तथा इसके दौरान उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण करना।
रखरखाव अवधि (दोष दायित्व अवधि)।
- और) ठेकेदार ऐसे नियोक्ता या नियोक्ता के अनुबंध में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत अनुपालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा।
वास्तुकार के निर्देश, बशर्त कि मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण हमेशा दिए जाएं
नियोक्ता या वास्तुकार द्वारा किए गए कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा की गई किसी भी सहमति की पुष्टि, यदि उसमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार/ठेकेदारों को सात
दिनों के भीतर लिखित रूप में की जाएगी। ऐसे कोई भी कार्य जिसके लिए दरें विशेष रूप से निर्धारित न हों
मात्राओं की मूल्य सूची में उल्लिखित मात्राओं को नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना नहीं लिया जाएगा या
नियोक्ता द्वारा निर्धारित दरों पर, उसके एजेंट को, मात्राओं की मूल्य सूची में उल्लिखित न की गई वस्तुओं की दरें नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
खंड "भिन्नता" में प्रावधान किया गया है।

सभी फैक्टरी निर्मित उत्पादों के संबंध में जिनके लिए आईएसआई चिह्नित उत्पाद उपलब्ध हैं, केवल आईएसआई युक्त उत्पाद ही उपलब्ध हैं।
कार्य में अंकन का उपयोग किया जाएगा।

3. निविदाकर्ताओं को साइट पर जाना होगा

इच्छुक निविदाकर्ता को साइट का दौरा करना होगा और स्थानीय साइट की स्थिति, कार्यों की प्रकृति और आवश्यकताओं, परिवहन की सुविधाओं, प्रभावी श्रम और सामग्री, पहुंच से पूरी तरह परिचित होना होगा।

सामग्री के भंडारण और कचरा हटाने की व्यवस्था। निविदाकर्ता को अपनी निविदा में परिवहन, माल ढुलाई और अन्य शुल्कों के साथ-साथ किसी भी विशेष कठिनाई और परिवहन आदि के लिए पुलिस प्रतिबंध सहित अन्य खर्चों का भी प्रावधान करना होगा।

कार्य का उचित निष्पादन।

4. निविदायें

निविदाकर्ता को जारी किए गए निविदा पत्र का पूरा सेट पूरी कीमत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए।

प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर सहित। आद्याक्षर/हस्ताक्षर निविदा पत्रों की स्वीकृति का संकेत देंगे।

निविदाकर्ता।

मात्राओं की अनुसूची निम्नानुसार भरी जाएगी:

i) "दर" कॉलम को अंग्रेजी अंकों और अंग्रेजी शब्दों दोनों में स्याही/बॉल पेन का उपयोग करके स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।

ii) "मात्राओं की अनुसूची" में दिए गए विवरण के अनुसार आइटम के लिए राशि कॉलम भरा जाना है।

iii) सभी सुधारों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्रों में कोई संशोधन, लेखन या सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार ऐसा कर सकता है।

विकल्प: मूल निविदा पत्रों के साथ संलग्न कागज की एक अलग शीट में अपनी टिप्पणियां या संशोधन प्रस्तुत करें।

नियोक्ता न्यूनतम या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने और किसी या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

प्रत्येक अनुभाग का या किसी भी कार्य को विभाजित करने और किसी विशेषज्ञ फर्म या फर्मों को वितरित करने के लिए, बिना किसी असाइनमेंट के कारण।

निविदाकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि निविदा पूर्णतः मद दर के आधार पर है तथा उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह तथ्य कि दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विस्तृत जानकारी मांगी जाए, तो

किसी एक या सभी दरों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। नियोक्ता को किसी भी या सभी दरों को मान्यता देने/स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार का विश्लेषण।

कार्यों का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर "मापा कार्य" के रूप में किया जाएगा, न कि "एकमुश्त" अनुबंध के रूप में, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

मात्रा अनुसूची में वर्णित कार्य की सभी मदों को पूर्ण कार्य माना जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा।

इसमें शामिल प्रारंभिक और परिष्करण कार्यों सहित सम्मान और विवरण, सीधे संबंधित और उचित रूप से

मात्राओं के विनिर्देशों और अनुसूची से पता लगाया जा सकता है और इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा

कनेक्शन।

नियोक्ता को मात्रा अनुसूची में वर्णित किसी भी कार्य में कुछ जोड़ने, कुछ हटाने और नियोक्ता को सूचित करने की शक्ति है।

लिखित रूप में भी ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण के बिना कोई भी जोड़, चूक या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

नियोक्ता से. किसी भी परिवर्तन से अनुबंध अमान्य नहीं होगा।

निविदाकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी निविदा, निविदा प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि तक विचारार्थ खुली रहेगी।

निविदा (मूल्य बोली) खोलने की तिथि।

5. समझौता

सफल ठेकेदार को मानक मसौदा समझौते के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी

बैंक के फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। ठेकेदार को सभी स्टाम्प और उससे संबंधित कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा। हालांकि,

नियोक्ता द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, नियोक्ता और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया जाता है या नहीं, इस प्रकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. सरकार और स्थानीय नियम

ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी स्थानीय उप-नियमों और अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों और किसी भी कंपनी के नियम आदि, जिनकी प्रणाली के साथ संरचना है

प्रस्तावित कनेक्शन। ठेकेदार उक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों और उप-नियमों आदि द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं देगा और कनेक्शन के निष्पादन के लिए ऐसे प्राधिकरण/प्राधिकरणों को देय सभी शुल्क का भुगतान करेगा।

इसमें शामिल कार्य। लागत, यदि कोई हो, को उसके उद्भूत दरों में शामिल माना जाएगा, जिसमें

लाइसेंस, फुटपाथ अतिक्रमण और जीर्णोद्धार आदि के लिए शुल्क की सभी देनदारियों का वहन करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा

नियोक्ता को ऐसी देनदारियों के विरुद्ध जवाबदेह बनाएगा तथा ऐसे दावों या देनदारियों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाईयों का बचाव करेगा।

7. कर और शुल्क

निविदाकर्ताओं को अपने निविदा मूल्य में सभी शुल्क रॉयल्टी, कार्य अनुबंध कर या किसी भी अन्य शुल्क के लिए उद्धृत मूल्य शामिल करना होगा। अन्य कर या स्थानीय शुल्क जो लागू हों। इस खाते पर किसी भी मामले में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल कार्य के किसी भी भाग या किसी भी ऐसे कार्य को निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो अनुबंध के अंतर्गत नहीं आता है। अन्य एजेंसी या व्यक्तियों द्वारा इस अनुबंध में शामिल किए गए और ठेकेदार को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए अपने मचानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य ठेकेदार इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। संबद्ध।

9. बयाना राशि और सुरक्षा जमा

निविदाकर्ता को फॉर्म में 27000/- रुपये (सत्ताईस हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करनी होगी निविदा प्रस्तुत करते समय कोलकाता में देय बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में तैयार बैंक ड्राफ्ट बयाना राशि। नियोक्ता बयाना राशि पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बयाना राशि कार्य सौंपने का निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद असफल निविदाकर्ताओं को बिना किसी ब्याज के धनराशि वापस कर दी जाएगी। निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद।

कुल सुरक्षा जमा (टीएसडी) प्रदान किए गए अनुबंध मूल्य या वास्तविक कार्य मूल्य का 10% होगा, जो भी अधिक हो। अंतिम रूप दिया गया। टीएसडी में ईएमडी और रिटेंशन मनी शामिल होगी। रिटेंशन मनी, चालू खाते के कुल मूल्य का 5% वसूल की जाएगी। जब तक टीएसडी अनुमानित या वास्तविक कार्य के 10% पर वसूल नहीं हो जाता, तब तक बिलों का भुगतान किया जाएगा, जो भी अंतिम रूप से तय हो।

10. ठेकेदार को सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी होंगी

ठेकेदार को कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी।

उद्धृत दरों में उक्त कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल होंगी। अनुबंध के विचार, और इकाई मूल्य से परे आकस्मिक या के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी आकस्मिक कार्य, श्रम और/या सामग्री, जिसमें विशिष्ट मदों को छोड़कर सभी कर और शुल्क शामिल हैं, यदि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार को किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए सभी औजार, उपकरण, मशीनरी और उपकरण तथा आवश्यक मचान, तख्ते, लकड़ी, बाड़, बोर्डिंग, निगरानी और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव स्वयं के खर्च पर करना होगा।

रात के साथ-साथ दिन में भी प्रकाश की आवश्यकता न केवल उचित निष्पादन और सुरक्षा के लिए है, बल्कि उक्त कार्य के लिए भी है।

बल्कि जनता की सुरक्षा और आस-पास की सड़कों, गलियों, दीवारों, घरों, इमारतों, सभी की सुरक्षा के लिए भी अन्य निर्माण, मामले और चीजें और ठेकेदार किसी भी या सभी ऐसे केंद्रीकरण, मचान, तख्ते, लकड़ी, स्ट्रुटिंग, शोरिंग आदि को हटा देगा, जैसा कि आवश्यकता होगी या ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, और पूरी तरह से बहाल करेगा और कार्यों के निष्पादन के दौरान परेशान सभी अच्छे मामलों और चीजों को बनाए रखेगा।

नियोक्ता की संतुष्टि।

ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों या ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को हर समय प्रवेश की अनुमति देनी होगी। इमारतों और ऐसे पक्षों को उचित पर्याप्त और यदि आवश्यक हो, तो विशेष मचान, उत्तोलक और प्रदान करना सौद्विग्यं स्थापित करें और उनमें पानी और प्रकाश की व्यवस्था करें तथा किसी भी कार्य में छेद, खांचे आदि न छोड़ें या न बनाएं, जहाँ नियोक्ता द्वारा निर्देशित, जैसा कि ऐसे कामगारों को पाइप, बिजली के तार, विशेष उपकरण बिछाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है फिटिंग आदि के लिए निविदादाताओं द्वारा उद्धृत दरों में तदनुसार उपरोक्त सभी आकस्मिक कार्य शामिल होंगे।

11. समापन का समय, समय विस्तार

एक। पूरा होने का समय: संपूर्ण कार्य 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूरा किया जाना है। स्वीकृति पत्र की तिथि या साइट के हस्तांतरण की तिथि, जो भी पहले हो, से दस दिनों के भीतर शुरू माना जाएगा। समय अनुबंध का सार है और ठेकेदार द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक नियोक्ता/वास्तुकार लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दें कि यह पूर्ण हो चुका है। पूरा हो चुका है और दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू होगी।

बी। समय विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी हो रही है तो (क) किसी असाधारण कारण से खराब मौसम के कारण, या (ख) की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नियोक्ता के निर्देशों के कारण या आसन्न या पड़ोसी मालिकों के साथ धमकी या विवाद या (सी) कार्य द्वारा, या (डी) अधिकृत के कारण अतिरिक्त और परिवर्धन या (ई) भवन निर्माण व्यापार को प्रभावित करने वाले श्रमिकों या हड़तालों के किसी संयोजन के कारण या

(च) अन्य कारणों से, जिन्हें नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से परे मानता है, नियोक्ता अनुबंध के लिए स्वीकृत समय पूरा होने पर समय का उचित और उचित विस्तार किया जाएगा। इसलिए, इस संबंध में पूरा होने पर, नियोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक साइट का कब्जा देने में विफल रहने की स्थिति में, ऊपर निर्दिष्ट कार्य पूरा होने का समय उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित हड़तालों के मामले में, ठेकेदार को नियोक्ता को तुरंत लिखित रूप से सूचित करना होगा। इसकी सूचना दी जाएगी। फिर भी, ठेकेदार देरी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और उसके लिए जो भी उचित रूप से आवश्यक हो, वह सब किया जाएगा। ऐसा करने से नियोक्ता द्वारा ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार समय विस्तार पर विचार किया जा सकेगा।

नियोक्ता द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी अवधि बढ़ाई जाए (जो निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) ऐसी हड़ताल के समापन पर प्रख्यापित किया जाएगा और नियोक्ता, विस्तार दिए जाने की स्थिति में, अंतिम समापन का निर्धारण और घोषणा करेगा तारीख। निश्चित क्षति के भुगतान के संबंध में प्रावधान को इस प्रकार पढ़ा और समझा जाएगा मानो नियोक्ता द्वारा निर्धारित विस्तारित तिथि को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और क्षति की कटौती तदनुसार की जाएगी।

सी। कार्य की प्रगति: निर्माण अवधि के दौरान ठेकेदार को आनुपातिक प्रगति बनाए रखनी होगी। कार्य प्रारंभ होने से ठीक पहले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम चार्ट के आधार पर और आर्किटेक्ट/नियोक्ता द्वारा सहमति दी गई है।

डी। अप्रत्याशित घटना:

यदि किसी भी समय, कार्य की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्यों, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, बाढ़, विस्फोट, महामारी, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों (इसके बाद संदर्भित) के कारण रोका या विलंबित किया जाएगा (संभावनाओं के रूप में) तब, बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दी गई हो घटना की तारीख से 5 दिनों के भीतर, कोई भी पक्ष ऐसी किसी भी आकस्मिकता के कारण से एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होगा। इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा और न ही किसी भी पक्ष को दूसरे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दावा होगा। इस अनुबंध के तहत कार्य के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी और निर्माण कार्य को फिर से शुरू किया जाएगा ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र कार्य पूरा किया जाएगा। कार्य पूरा होने के समय में उचित विस्तार किया जाएगा।

मंजूर किया गया।

12. उपकरण, सामग्री का भंडारण, सुरक्षात्मक कार्य और साइट कार्यालय आवश्यकताएँ

ठेकेदार को एक प्रतिनिधि उपलब्ध कराना होगा जो सभी उचित समय पर उपलब्ध रहेगा। नियोक्ता से निर्देश नोटिस या संचार।

ठेकेदार को कार्य के लिए आवश्यक सभी कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी तथा अन्य कार्यों के लिए भी प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करना होगा।

ठेकेदार को कार्य के दौरान कार्यस्थल पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी होगी। कार्य, और पानी के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी पात्र, पानी की टंकियाँ आदि को उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए मच्छरों का प्रजनन। ठेकेदार नियोक्ता को नियमों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा मलेरिया-रोधी उपाय।

ठेकेदार किसी भी प्रकार का कोई प्लेकार्ड या विज्ञापन नहीं लगाएगा या उसे लगाने की अनुमति नहीं देगा। नियोक्ता द्वारा अनुमोदित हॉर्डिंग और/या भवन संरचना के अलावा किसी अन्य हॉर्डिंग और/या भवन संरचना में या उसके ऊपर स्थापित या रखा हुआ नहीं होना चाहिए।

सुरक्षात्मक उपाय: ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने के समय से ही उपयुक्त उपाय करने होंगे।

दिन में, रात में, रविवार को और अन्य दिनों में साइट पर सामग्री की निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था छुट्टियाँ।

ठेकेदार भवन, सड़कों या सदस्यों को होने वाली किसी भी संभावित क्षति के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। कार्य के निष्पादन के दौरान जनता के लिए आवश्यक अस्थायी बाड़े आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। पैदल यात्रियों और पार्क किए गए वाहनों की सुरक्षा।

सामग्री का भंडारण: ठेकेदार को सामग्री आदि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। उप-ठेकेदारों के उपकरण और सामग्री सहित साइट को जब्त करना तथा कार्य पूरा होने पर उसे हटाना।

उपकरण: सभी मापने वाले टेप स्टील के होने चाहिए और उपयुक्त मचान और सीढ़ियाँ होनी चाहिए जो सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक हों। माप लेने की सुविधा ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी।

13. साइट साफ़ करना और कार्य स्थापित करना

योजना में दर्शाई गई जगह को सभी प्रकार की बाधाओं, सामग्रियों और कचरे से साफ़ किया जाएगा। सभी छेद या खोखले स्थान।

चाहे मूल रूप से मौजूद हो या काम के दौरान उत्पन्न हुई हो, उसे सावधानीपूर्वक भरा जाएगा और उसके निर्देशानुसार समतल किया जाएगा। स्वयं की लागत.

14. अनुचित कार्य को हटाना

कार्य की प्रगति के दौरान नियोजित को समय-समय पर लिखित रूप में हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी। किसी भी सामग्री के आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समय के भीतर कार्य से नियोजित/वास्तुकार की राय में, यदि प्रतिस्थापन विनिर्देश या निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो प्रतिस्थापन या किसी भी कार्य का उचित पुनः निष्पादन, जो सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किया गया हो, जो कि नियमों के अनुरूप न हो। विनिर्देशों या निर्देशों का पालन न करें। यदि ठेकेदार आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो नियोजित को कार्य को पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों को नियुक्त करने और भुगतान करने की शक्ति और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी व्यय या नियोजित द्वारा प्रमाणित, उससे संबंधित व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा या किसी भी कटौती से काटा जा सकता है। ठेकेदार को देय या देय होने वाली धनराशि। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को राहत नहीं मिलेगी अनुचित कार्य या खराब सामग्री के संबंध में अपने दायित्व से मुक्त।

यह कार्य बैंक/केंद्रीय बैंक के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा तकनीकी रूप से जांचा और लेखापरीक्षित किया जा सकता है। सतर्कता आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है। यदि कोई दोष/सुधार या परीक्षण आदि इंगित किया गया हो, तो बैंक/मुख्य तकनीकी परीक्षक/तकनीकी परीक्षक द्वारा ठेकेदार को किया जाना चाहिए। उसकी अपनी लागत और बैंक/सीटीई/टीई द्वारा सुझाई गई कोई भी कटौती देय राशि से प्रभावी होगी। ठेकेदार या उसकी सुरक्षा जमा राशि आदि से।

15. ठेकेदार के कर्मचारी

ठेकेदार को कार्य के लिए तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना होगा। कार्य के संबंध में ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करना जिनके पास अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयुक्त कौशल या क्षमता हो। अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी मजदूर को, जो भारतीय नागरिक नहीं है, कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से दिन के आधार पर कार्य पर लगाए जाने के लिए आपूर्ति किया गया कोई भी श्रमिक नियोजित या उसके प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष आदेश या नियंत्रण के तहत नियोजित व्यक्ति माना जाएगा ठेकेदार द्वारा।

ठेकेदार को सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित आवश्यकताएं भी शामिल हैं:

- क) मजदूरी भुगतान अधिनियम ख) नियोजित दायित्व अधिनियम
- ग) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 और केंद्रीय नियम 1971
- ई) प्रशिक्षु अधिनियम 1961
- च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
- छ) इससे संबंधित कोई अन्य अधिनियम या अधिनियमन तथा समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

ठेकेदार नियोजित को किसी भी दावे से सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति देगा यदि कर्मचारी और नियोजित के बीच कोई विवाद हो। नियोजित द्वारा किए गए किसी भी दावे के संबंध में नियोजित द्वारा किए जाने वाले सभी लागत और व्यय किसी भी कामगार.

ठेकेदार को कार्य में लगे मजदूरों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। साइट पर या उसके आसपास या कार्य रिपोर्ट के निष्पादन के संबंध में किसी भी दुर्घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर ऐसी दुर्घटना की सूचना नियोजित को तथा सक्षम प्राधिकारी को भी देनी होगी, जहां ऐसी रिपोर्ट कानून द्वारा अपेक्षित हो।

16. कामगारों की बर्खास्तगी

नियोजित के अनुरोध पर ठेकेदार, नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा। उस पर उसके द्वारा, जो नियोजित की राय में अनुपयुक्त या अक्षम हो सकता है या जो कदाचार कर सकता है स्वयं। ऐसी बर्खास्तगी नियोजित के विरुद्ध मुआवजे या क्षति के किसी भी दावे का आधार नहीं होगी। या उनके किसी अधिकारी या कर्मचारी को।

17. असाइनमेंट

अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा ठेकेदार निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध या उसके किसी भाग, शेर या हित को हस्तांतरित, समनुदेशित या पट्टे पर नहीं देगा और न ही लेगा नियोजित की लिखित सहमति के बिना एक नया साझेदार और कोई उप-पट्टा ठेकेदार को इससे मुक्त नहीं करेगा अनुबंध की पूर्ण एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी से अथवा कार्य की प्रगति के दौरान उसके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त होना।

18. व्यक्तियों को क्षति और संपत्ति बीमा आदि।

ठेकेदार कार्य या श्रमिकों को किसी भी प्रकार की चोट, व्यक्ति, पशु या वस्तु को होने वाली क्षति तथा सभी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

संपत्ति के संरचनात्मक और/या सजावटी हिस्से को होने वाली क्षति जो संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकती है स्वयं या किसी उप-ठेकेदार या उसके या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी की, चाहे ऐसी चोट या क्षति हो लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली घटना, जो किसी भी तरह से इसके कार्यान्वयन से जुड़ी हो इस अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति, चाहे वह तत्काल हो, शामिल होगी।

आस-पास या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, पैदल पथों या मार्गों को होने वाली किसी भी क्षति के साथ-साथ वर्षा, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलता के कारण इस अनुबंध के अधीन आने वाली इमारतों और कार्यों को नुकसान पहुँच सकता है।

ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और इससे उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी व्यय के संबंध में हानिरहित रहेगा व्यक्ति या संपत्ति को पूर्वोक्त किसी भी प्रकार की चोट या क्षति तथा किए गए किसी भी दावे के संबंध में भी ऐसे दावे के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति या क्षति पर किसी भी कार्य के तहत क्षति या क्षति के संबंध में।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा ताकि संपूर्ण नुकसान की भरपाई की जा सके। अनुबंध कार्य हर दृष्टि से पूर्ण और परिपूर्ण हो और ताकि सभी दावों को पूरा किया जा सके या अन्यथा संतुष्ट किया जा सके तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान।

19. बीमा _____

जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ठेकेदार को कार्यों का बीमा कराना होगा तथा उन्हें वास्तविक समय तक बीमित रखना होगा।

आग और भूकंप, बाढ़, युद्ध, तूफान आदि से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ अनुबंध को पूरा करना।

बीमा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित कंपनी के साथ, नियोक्ता और के संयुक्त नामों में रखा जाना चाहिए

ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा गया है) को अनुबंध की पूरी राशि और किसी भी आगे के लिए

यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि का प्रीमियम ठेकेदार को अधिकृत के रूप में दिया जाएगा

अतिरिक्त।

ठेकेदार को पॉलिसी और भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद 11 (ग्यारह) दिन के भीतर नियोक्ता के पास जमा करनी होगी।

कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन तक, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया गया हो। ठेकेदार द्वारा बीमा कराने में चूक होने पर

ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार, नियोक्ता अपनी ओर से ऐसा बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को किसी भी धन से काट सकता है

देय, या जो ठेकेदार को देय हो सकता है।

नियोक्ता को स्वतंत्रता होगी और वह ऐसे किसी भी दावे से उत्पन्न या प्रोद्भूत होने वाली किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, प्रभार और व्यय की राशि में कटौती करने के लिए सशक्त होगा।

ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से क्षतिपूर्ति।

20. माप _____

किसी भी कार्य का माप लेने से पहले बैंक का प्रतिनिधि उचित सूचना देगा।

ठेकेदार। यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद माप पर उपस्थित होने में विफल रहता है या प्रतिहस्ताक्षर करने में विफल रहता है या

माप की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बैंक के नियमों के अनुसार अंतर दर्ज करना।

प्रतिनिधि द्वारा लिया गया माप अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार पर कोई विवाद नहीं होगा और ठेकेदार को इस पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

21. भुगतान _____

सभी बिल ठेकेदार द्वारा वास्तुकार/नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाएंगे। सामान्यतः एक

अंतरिम बिल प्रत्येक माह तैयार किया जाएगा, जो अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम मूल्य के अधीन होगा, जैसा कि इसमें कहा गया है।

परिशिष्ट: उचित प्रारूप में बिलों के साथ, विवरण के समर्थन में विस्तृत माप भी संलग्न होना चाहिए।

किए गए कार्य की मात्रा।

वास्तुकार ठेकेदार के बिल की उचित जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें देय राशि बताई जाएगी।

नियोक्ता से ठेकेदार और ठेकेदार को इसकी अवधि के भीतर भुगतान का हकदार होगा

इन दस्तावेजों में नामित प्रमाणपत्रों का सम्मान करना। ऐसे दस्तावेजों के प्रसंस्करण में किसी कारणवश देरी होने की स्थिति में

भुगतान के लिए बिल, ठेकेदार के अनुरोध पर बिल की गई राशि का 75% तदर्थ अग्रिम भुगतान किया जा सकता है

कार्य की सुचारू प्रगति के लिए।

नियोक्ता इन शर्तों में वर्णित अनुसार प्रतिधारण राशि काट लेगा। प्रतिधारण राशि की वापसी

उक्त खंड में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के विरुद्ध अग्रिम भुगतान माना जाएगा और

वास्तव में किए गए और पूरे किए गए कार्य के भुगतान के रूप में नहीं, और खराब, अस्वस्थ, अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाने, ले जाने और पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता को नहीं रोकेगा। कोई लामबंदी

अग्रिम या

कोई अन्य अग्रिम नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

अंतिम बिल के साथ आर्किटेक्ट से कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा। अंतिम बिल का भुगतान इन शर्तों में निर्दिष्ट प्रतिधारण धन की कटौती के बाद किया जाएगा, जो राशि बाद में वापस कर दी जाएगी ठेकेदार द्वारा आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दोष दायित्व अवधि की समाप्ति नियोक्ता की संतुष्टि के लिए सभी दोषों को ठीक कर दिया गया। अंतिम बिल के भुगतान की स्वीकृति ठेकेदार को यह बताना होगा कि निष्पादित कार्य के संबंध में उसका कोई और दावा नहीं होगा।

22. भिन्नता/ विचलन

निविदा दरें, निविदाकृत मात्रा में किसी भी वृद्धि के लिए लागू होंगी।

सभी अतिरिक्त वस्तुओं/गैर-निविदा वस्तुओं की कीमत प्रचलित दरों के आधार पर तय की जाएगी। श्रम का उचित मूल्य (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए श्रम दर, जो लागू हो, अपनाई जाएगी) विश्लेषण का उद्देश्य ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई उच्च मजदूरी (यदि कोई हो) पर ध्यान दिए बिना, सामग्री और अन्य ठेकेदार के लाभ और ओवरहेड्स के लिए 15% सहित आवश्यकतानुसार घटकों का भुगतान।

23. कार्य का समापन

समय अनुबंध का सार है। पूरा कार्य निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। साइट सौंपने या कार्य आदेश जारी करने की तारीख से दिन जो भी पहले हो और पूरी तरह से किया जाएगा ठेकेदार द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और कमियों और दोषों को ठीक किया जाएगा। ऐसे निरीक्षण के पूरा होने पर ठेकेदार वास्तुकार/नियोक्ता को सूचित करेगा कि उसने कार्य पूरा कर लिया है और यह निरीक्षण के लिए तैयार है। कार्य पूरा होने पर ठेकेदार सभी खिड़कियों और दरवाजों की सफाई करेगा, जिसमें यदि आवश्यक हो तो सफाई और तेल लगाना भी शामिल होगा। सभी हार्डवेयर, अंदर और बाहर, सभी फर्श, सीढ़ियाँ, और इमारत का हर हिस्सा। वे पूरी इमारत छोड़ देंगे बैंक की संतुष्टि के अनुसार भवन को साफ-सुथरा रखना।

24. पूरा होने पर साइट साफ़ करना

कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को साइट से सभी निर्माण संयंत्र, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा-कचरा और हर प्रकार के अस्थायी कार्यों को हटाना होगा और पूरे साइट और कार्यों को छोड़ देना होगा।

बैंक की संतुष्टि के अनुसार साफ-सुथरी और कार्यशील स्थिति में होनी चाहिए।

25. दोष दायित्व अवधि

ठेकेदार को अपने खर्च पर तथा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार सभी दोषों या अन्य दोषों को ठीक करना होगा। कार्य पूरा होने के 12 महीनों के भीतर दिखाई देने वाली खामियाँ। चूक की स्थिति में, नियोक्ता परिणामस्वरूप होने वाली क्षतियों, हानियों और व्ययों को संशोधित करने और पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना और भुगतान करना उस पर या उसके आनुषंगिक की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी और वहन की जाएगी तथा ऐसी क्षति, हानि और नियोक्ता द्वारा उनसे व्यय वसूल किया जा सकेगा या नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यय के बदले में कटौती की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा संशोधन और सुधार करते समय, ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से समतुल्य राशि काट लें ऐसे कार्य में संशोधन की लागत जो अधिकतम सुरक्षा जमा के रूप में प्रतिधारण राशि होगी।

26. वृद्धि

उद्धृत दर अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेगी (यदि कोई समय विस्तार दिया गया हो तो, इसमें शामिल है) तथा सामग्री, श्रम, बिक्री कर, चुंगी, वैट आदि की लागत में वृद्धि के कारण किसी भी उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होगा।

27. बेकार श्रम

कारण चाहे जो भी हो, निष्क्रिय श्रमिकों, किराये की अतिरिक्त स्थापना लागत और औजारों के श्रम प्रभार आदि के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता। पौधों का किसी भी परिस्थिति में मनोरंजन किया जाएगा।

28. मध्यस्थता

नियोक्ता के निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र सभी या किसी भी मामले के संबंध में अनुबंध की सामान्य शर्तें अंतिम, निर्णायक और इसके सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगी और बिना किसी अपील के।

का निपटान विवाद और मध्यस्थता करना	<p>अनुबंध में अन्यथा प्रावधान के अलावा, इससे संबंधित सभी प्रश्न और विवाद यहां पहले उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइन, चित्र और निर्देशों का अर्थ और कार्य में प्रयुक्त कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में या किसी अन्य के संबंध में प्रश्न, दावा, अधिकार, मामला या चीज़ जो किसी भी तरह से उत्पन्न हो या उससे संबंधित हो अनुबंध, डिजाइन, चित्र, विनिर्देश, अनुमान, निर्देश आदेश, या ये शर्तें या अन्यथा कार्य या उसके निष्पादन या निष्पादन में विफलता के संबंध में कार्य की प्रगति के दौरान या रद्दीकरण, समाप्ति, समापन या उसके बाद उत्पन्न होने वाली इसके परित्याग के संबंध में आगे उल्लिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी।</p>
ii)	<p>यदि ठेकेदार को लगता है कि वह किसी अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे का हकदार है वास्तुकार द्वारा देय स्वीकृत राशि से अधिक कार्यों के संबंध में या यदि ठेकेदार किसी कटौती या वसूली की वैधता पर विवाद करना चाहता है या अनुबंध से हटाए जाने का प्रस्ताव है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार तुरंत अपने दावे या विवाद की लिखित सूचना क्षेत्रीय प्रबंधक (संपदा एवं सेवाएँ) बैंक को दें भारत सरकार, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता को अस्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर या कटौती या वसूली की तारीख। उक्त नोटिस में दावे, आधारों का पूरा विवरण दिया जाएगा जिस पर यह आधारित है और दावा की गई राशि की विस्तृत गणना और ठेकेदार बैंक किसी भी प्रकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा और न ही बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा ऐसे दावे की सूचना नहीं दी गई हो। जोनल मैनेजर को पूर्वोक्त तरीके से और समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। ठेकेदार को किसी भी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों को छोड़ दिया गया और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा, जो अधिसूचित नहीं किया गया है। जोनल मैनेजर को पूर्वोक्त तरीके से तथा समय के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।</p>
iii)	<p>क्षेत्रीय प्रबंधक (संपदा एवं सेवाएँ) अधिसूचित दावों पर अपना निर्णय लिखित रूप में देंगे। ठेकेदार द्वारा। ठेकेदार निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्रबंधक (संपदा एवं सेवाएँ) अपने दावे सुलह प्राधिकारी अर्थात् के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। महाप्रबंधक, एफजीएमओ कोलकाता, बैंक ऑफ इंडिया को सभी विवरणों के साथ समाधान हेतु उनके और क्षेत्रीय प्रबंधक (संपदा एवं सेवाएँ)।</p> <p>यदि विवादों के निपटारे के बिना सुलह कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, तो ठेकेदार को अनुबंध समाप्ति के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। मामले का निर्णय करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु बैंक के संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को प्र अथिसूचित दावे जिनके अंतर्गत ठेकेदार के दावे मान्य माने जाएंगे इसे पूर्णतः वर्जित और माफ माना गया।</p>
iv)	<p>सिवाय इसके कि जहां निर्णय अनुबंध के अनुसार अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक हो गया हो, ठेकेदार के पूर्वोक्त अधिसूचित दावों से उत्पन्न सभी विवाद या मतभेद और बैंक के सभी दावों को एकल न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय के लिए भेजा जाएगा। जोनल मैनेजर द्वारा नियुक्त मध्यस्थ। इस तरह की किसी भी बात पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। नियुक्ति कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एक बैंक अधिकारी है और उसे निम्नलिखित से निपटना था बैंक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान वे मामले जिनसे अनुबंध संबंधित है। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है या अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या अपना पद रिक्त कर देता है किसी भी कारण से कार्यालय से बाहर होने पर, किसी अन्य एकमात्र मध्यस्थ को इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा उक्त क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पूर्वोक्त। ऐसा व्यक्ति कार्यवाही करने का हकदार होगा यह उस स्तर का संदर्भ है जिस पर उनके पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ा था।</p> <p>इस अनुबंध की एक शर्त यह है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष विवादों की एक सूची देगा प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि के साथ-साथ नियुक्ति के लिए नोटिस मध्यस्थ.</p> <p>इस अनुबंध की यह भी शर्त है कि ऐसे क्षेत्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जैसा कि पूर्वोक्त है, महाप्रबंधक को मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए।</p> <p>सुलह और मध्यस्थता, के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 या उसका कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियम।</p> <p>इस अनुबंध की यह भी शर्त है कि यदि मध्यस्थ को कोई शुल्क देय है तो वह दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, यदि मध्यस्थ बैंक अधिकारी.</p> <p>अनुबंध की यह भी शर्त है कि मध्यस्थ को अनुबंध में प्रवेश करने पर विचार किया जाएगा। जिस दिन वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है, उस दिन संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए कहता है। दावों का विवरण और दावों का प्रति-विवरण। मध्यस्थता का स्थान होगा मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित स्थान पर, यदि कोई हो, तो फीस यदि पंचाट के निर्णय और प्रकाशन से पहले मध्यस्थ को भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, तो उसे आधा भुगतान किया जाएगा। और प्रत्येक पक्ष द्वारा आधा-आधा। संदर्भ और पुरस्कार की लागत (सहित)</p>

मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो) मध्यस्थ के विवेक पर होगी जो किसी को निर्देश दे सकता है
किसे और किस तरीके से ऐसी लागत या उसका कोई भाग चुकाया जाएगा और उसे निश्चित या निपटारा जाएगा
इस प्रकार भुगतान की जाने वाली लागत की राशि।

उद्धृत करें

निविदा में उद्धृत करें तैयार कार्य के लिए होंगी। उद्धृत दरों में सभी शुल्क शामिल होंगे।

श्रम, सामग्री, सामग्री के भंडारण के लिए शोध, सामग्री और उपकरणों के परिवहन, औजारों और संयंत्रों, कार्य की विभिन्न मदों के निष्पादन के दौरान साइटों की सफाई, ओवरहेड्स आदि के लिए आवश्यक और प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी चीजें करना

इस निविदा दस्तावेज़ में संलग्न विनिर्देशों के अनुरूप कार्य की तैयार वस्तुओं को पूरा करें। उद्धृत दरें

इसमें सभी शुल्क, रेंटल, कार्य अनुबंध या कोई अन्य कर या स्थानीय शुल्क या शुल्क आदि भी शामिल होंगे जो लागू हों।

कार्य पूरा होने पर। किसी भी स्थिति में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरें स्थिर रहेंगी और उन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

श्रम स्थितियों या किसी भी अन्य स्थिति के कारण होने वाले परिवर्तनों का आदान-प्रदान करना।

ठेकेदार को सामग्री को इस प्रकार संग्रहीत नहीं करना चाहिए जिससे जनता/कर्मचारियों को असुविधा हो

ठेकेदार किसी भी स्थल पर ऐसी सामग्री नहीं रखेंगे जिससे जनता को गंभीर असुविधा हो। नियोजक

ठेकेदार को किसी भी या सभी सामग्रियों को हटाने की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें वह खतरा या असुविधा मानता है

या तो उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए या ठेकेदार की लागत पर उन्हें हटाया जाए।

साइट की स्थिति

ठेकेदार को उस कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए, जहां इस अनुबंध के तहत कार्य किया जाना है, और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने चाहिए।

सफल निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी पर उपलब्ध कराएगा।

अनुबंध का।

उसे कार्य स्थल तक पहुंचने के सभी स्थानों और साधनों, परिवहन सुविधाओं की प्रकृति, विस्तार और कार्य की प्रकृति तथा सामग्री की आपूर्ति, श्रम और रोजगार को प्रभावित करने वाली स्थितियों से भी परिचित होना चाहिए।

अन्य मामले जो उसकी निविदा को प्रभावित कर सकते हैं। नियोजक, आस-पास के भूखंड के स्वामी या किसी अन्य पक्ष से किसी भी प्रकार की छूट, प्रवेश, अतिक्रमण आदि की अनुमति प्राप्त करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, चाहे वह कार्य की सुविधा के लिए हो या अन्यथा। इसलिए, यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहा है, तो किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस शर्त का पालन करने के लिए।

इमारतों या उनके आस-पास के सभी बाड़, पेड़, झाड़ियाँ, हरी और अन्य सतहें, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है

कार्य के संबंध में तैयारी के कारण होने वाली क्षति से बचाकर रखा जाना चाहिए।

ठेकेदार को साइट उसकी वर्तमान स्थिति में उपलब्ध कराई जाएगी। साइट की सीमाओं के भीतर साइट का संगठन

उसकी ज़िम्मेदारी होगी। ठेकेदार को साइट के लिए उपरोक्त साइट के अलावा कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

कार्यालय, श्रमिक शिविर, भंडारण आदि।

परिसमापन हर्जाना

निविदा में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि से गणना की जाएगी। कार्य निर्धारित अवधि के दौरान किया जाएगा।

अनुबंध के निष्पादन के लिए सभी उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ना होगा (समय को अनुबंध का सार माना जाता है,

ठेकेदार का हिस्सा) और ठेकेदार नियोजक को भुगतान करेगा, नियोजक के अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

निर्धारित तिथि के बाद प्रत्येक सप्ताह कार्य अधूरा रहने पर कार्य के मूल्य का 0.5% मुआवजा दिया जाएगा।

परिशिष्ट में "कार्य समाप्ति की तिथि" या कार्य के मूल्य के अधिकतम 5.0% के अधीन विस्तारित तिथि दर्शाई जाएगी।

परिसमाप्त क्षतिपूर्ति। नियोजक ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि और/या देय किसी भी राशि से ऐसी राशि काट सकता है

ठेकेदार को उस समय या बाद में भुगतान किया जाएगा। निर्धारित "परिसमाप्त क्षतिपूर्ति" को समय पर कार्य पूरा न होने के कारण नियोजक को हुए नुकसान/क्षति का वास्तविक पूर्व-अनुमान माना जाएगा। नियोजक का निर्णय

इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

सुरक्षा कोड

मचान:

(i) सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, या

ठोस निर्माण से दूर रखें, सिवाय ऐसे अल्पकालिक कार्यों के जो सीढ़ियों से सुरक्षित रूप से किए जा सकें। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है,

सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा और यदि सीढ़ी का उपयोग सामग्री ढोने के लिए किया जाता है, तो उपयुक्त होगा

सीढ़ी पर पैर रखने और हाथ पकड़ने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी और सीढ़ी को इससे अधिक ढलान नहीं दी जाएगी

1/4 से 1 (1/4) क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर)

(ii) ज़मीन या फर्श से 4 मीटर से अधिक ऊँचाई पर मचान या मंच, जो किसी ऊपरी सहारे से लटकाया या लटकाया गया हो

या स्थिर समर्थन के साथ खड़ा किया गया हो तो उसमें कम से कम एक गार्ड रैलिंग ठीक से लगी हुई, बोल्ट से कसी हुई और अन्यथा सुरक्षित होनी चाहिए

बैंक ऑफ इंडिया- आंचलिक कार्यालय, कोलकाता पृष्ठ - 18 धर एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

ऐसे मचानों या मंचों के फर्श या मंच से 3 फीट ऊंचा और पूरी लंबाई के साथ फैला हुआ बाहर और उसके सिरों पर केवल उतना ही खुला स्थान हो जितना सामग्री पहुँचाने के लिए आवश्यक हो। ऐसी मचान या स्टेजिंग को इस प्रकार से बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से हिलने न पाए।

(iii) कार्य मंच, गैंगवे और सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से झुकें नहीं या असमान रूप से, और यदि प्लेटफॉर्म या गैंगवे या सीढ़ी की ऊँचाई ज़मीन से 12 फीट से अधिक है फर्श के स्तर पर। उन्हें पास-पास बोर्ड लगाए जाने चाहिए, पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उचित रूप से बांधा जाना चाहिए, जैसे कि (iv) ऊपर (ii) में वर्णित है।

किसी भवन के फर्श या कार्य मंच में प्रत्येक खुले स्थान को उपयुक्त साधनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकें, जिनकी न्यूनतम ऊंचाई होगी - 3'0"। जहां कहीं भी जमीन में खुली खुदाई हो, उन्हें उपयुक्त रेलिंग और खतरे से घेर दिया जाएगा रात में सिग्नल लगाए गए ताकि लोगों को खुदाई स्थल में फिसलने से रोका जा सके।

(iv) सभी कार्य प्लेटफॉर्मों और कार्यस्थलों तक पहुँच के सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक सीढ़ी सुरक्षित रूप से स्थिर। कोई भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी 9 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, जबकि सीढ़ी के डंडे की चौड़ाई में साइड रेल के बीच की चौड़ाई 3 मीटर तक की लंबाई वाली सीढ़ियों के लिए चौड़ाई किसी भी स्थिति में 290 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए। लंबी सीढ़ियों के लिए यह चौड़ाई प्रत्येक अतिरिक्त मीटर या लम्बाई के लिए कम से कम 20 मिमी की वृद्धि की जानी चाहिए।

अन्य सुरक्षा उपाय

(हम) संयंत्र स्थल पर कार्यरत ठेकेदार के सभी कर्मिकों को सुरक्षा हेलमेट/बेल्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vii) विद्युत उपकरणों से होने वाले खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी।

कार्य स्थल पर सामान इस प्रकार रखा या रखा जाएगा कि किसी व्यक्ति या जनता को खतरा या असुविधा न हो। (viii) ठेकेदार कार्य स्थल पर जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए

सभी उपाय करेगा और

किसी भी व्यक्ति द्वारा लाए जा सकने वाले प्रत्येक वाद, कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही के बचाव का खर्च वहन करने के लिए बाध्य उपरोक्त सावधानियों की उपेक्षा के कारण किसी व्यक्ति को लगी चोट के लिए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए या जो इसके साथ हो सकता है ठेकेदार की सहमति के बिना, ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दावे पर समझौता करने के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ix) पेंटिंग कार्य शुरू होने से पहले और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी;

कार्य स्थल से सटे सभी सड़कों और खुले क्षेत्रों को या तो बंद कर दिया जाएगा या उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जाएगा;

परिशिष्ट

नौकरी का विवरण	: सिविल कार्य और आंतरिक साज-सज्जा न्यू गरिया के प्रस्तावित नए परिसर के लिए कार्य कोलकाता आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत शाखा
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	: ₹ 27000/- का डिमांड ड्राफ्ट 'बैंक ऑफ इंडिया' के पक्ष में कोलकाता में देय। (एमएसएमई के लिए लागू नहीं) पंजीकृत फर्म)।
प्रारंभण की तिथि	: कार्य आदेश जारी होने या सौंपने की तारीख से 07 दिन साइट पर जो भी पहले हो।
पूरा होने का समय	: 15 दिन
परिसमापन हर्जाना	: देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए 0.5%, अधिकतम 5% के अधीन इकरार राशी।
दोष दायित्व अवधि	: वर्चुअल समापन की तारीख से 12 महीने
कुल सुरक्षा जमा	कुल सुरक्षा जमा (टीएसडी) कुल जमा राशि का 10% होगा। प्रदान किया गया अनुबंध मूल्य या वास्तविक कार्य मूल्य, जो भी हो अंतिम रूप दिया गया। टीएसडी में ईएमडी (27000/-) और रिटेंशन शामिल होगा धन। प्रतिधारण धन 5% की दर से वसूल किया जाएगा टीएसडी की वसूली 10% पर होने तक चालू बिल अनुमानित या वास्तविक कार्य जो भी अंतिम रूप दिया जाए।
अंतिम माप और भुगतान की अवधि	: 60 दिन

सामान्य तकनीकी विनिर्देश

(सिविल और संबद्ध कार्य)

1.0 परिचय _____

सामान्य विनिर्देश तैयार किए जा रहे हैं और संबंधित कार्य के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसमें चित्र और दस्तावेजों में दर्शाए गए और परिभाषित कार्यों के अनुसार साइट पर आपूर्ति, फिक्सिंग, फिटिंग और निर्माण शामिल है, और यह कार्य ठेकेदार की पूर्ण संतुष्टि के लिए किया जाना है।

सलाहकारों की देखरेख में।

ठेकेदार को साइट पर जाना चाहिए और साइट तक पहुंच और निकास, मलबे का निपटारा आदि जैसी स्थानीय स्थितियों का संज्ञान लेना चाहिए। निविदा के लिए।

उद्धृत दरों में कारीगरी के सर्वोत्तम उपलब्ध मानक और विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल होनी चाहिए आवश्यकतानुसार सभी ट्रेडों में कार्मिकों की नियुक्ति तथा परामर्शदाताओं द्वारा मार्गदर्शन।

ठेकेदार द्वारा परियोजना में उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री निविदा विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। ठेकेदार को सलाहकारों की आवश्यकताओं के अनुसार नमूने प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही, सामग्री के लिए भी सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित सूची के अनुसार, नमूनों को भी सलाहकारों द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत। ठेकेदार केवल अनुमोदित निर्माताओं से ही सामग्री खरीदेगा और यदि परामर्शदाताओं द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर, ठेकेदार को ऐसी खरीद के चालान, बिल, रसीद या वाउचर प्रस्तुत करने होंगे।

ठेकेदार द्वारा साइट पर वितरित की जाने वाली किसी भी वस्तु के लिए ऑर्डर देने से पहले, नमूने सलाहकारों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ठेकेदार द्वारा तैयार किया गया नमूना, जिसे परामर्शदाता द्वारा साइट पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के साथ तुलना करने के लिए रखा जाएगा। उचित पैकिंग के साथ ठेकेदार द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कोई आपूर्ति सामग्री अस्वीकृत कर दी जाती है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। सलाहकारों की संतुष्टि के अनुसार उन्हें हटाकर पुनः स्थापित किया गया। रंगीन कपड़ों और अन्य सतहों के नमूना फिनिश फिनिशिंग और फर्निशिंग और फिनिशिंग आइटम भी ठेकेदार द्वारा सलाहकारों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्य प्रारंभ करने के लिए।

ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान सभी पूर्ण और अपूर्ण कार्यों की अस्थायी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। काम। ठेकेदार को साइट से सभी बाहरी हिस्से, मलबा, शेल्व और अन्य प्रकार के कचरे को भी साफ करना होगा। इन-फिलिंग या कवरिंग के निर्माण से पहले।

सभी प्रविष्टियाँ, साँचे, बक्से, टेम्पलेट और जुड़नार इतनी सटीकता से और दृढ़ता से निगमित किए जाएंगे कि वे एक जैसे बने रहें उपयोग के दौरान सटीक।

सभी अप्रकाशित लकड़ी की सतहें और चिनाई वाली दीवारों और सामग्रियों से बनी सतहों से सटी अन्य लकड़ी की सतहें लकड़ी के अलावा अन्य किसी भी लकड़ी को लगाने या ढकने से पहले अनुमोदित लकड़ी परिरक्षक के कम से कम दो कोटों से उपचारित किया जाएगा।

निर्दिष्ट मानकों के अनुसार एकसमान गुणवत्ता और संतुष्टि के लिए प्रथम श्रेणी की कारीगरी केवल सलाहकार/बैंक के ही प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। कार्य की प्रगति, प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार होगी। ठेकेदार द्वारा अनुमोदित और सलाहकारों द्वारा अनुमोदित।

2.0 प्रक्रियाएँ _____

2.1 सामान्य _____

कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियाँ प्राप्त मात्रा अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार और गुणवत्ता की होंगी। विनिर्देश में उल्लिखित अनुमोदित स्रोत/निर्माता से और पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा वास्तुकार/सलाहकार। ऑर्डर देने से पहले सामग्री के नमूनों को अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और अनुमोदित नमूनों को आर्किटेक्ट/परामर्शदाता के पास जमा किया गया।

यदि वास्तुकार/परामर्शदाता द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो सामग्रियों का परीक्षण किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में किया जाएगा और परीक्षण प्रमाणपत्र मूल प्रति उसे प्रस्तुत की जाएगी और परीक्षण के लिए संपूर्ण शुल्क, जिसमें यदि आवश्यक हो तो बार-बार परीक्षण भी शामिल है, वहन किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा।

2.2 कारीगरी _____

सभी कार्य सर्वोत्तम कारीगरी के होंगे और उचित कारीगरी के साथ और नियमों के अनुसार किए जाएंगे। वास्तुकार/परामर्शदाता की संतुष्टि के लिए सुदृढ़ इंजीनियरिंग अभ्यास।

कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि वास्तुकार/परामर्शदाता का लिखित प्रमाण पत्र स्वीकार न कर लिया जाए।

2.3 ध्वस्त

विघटित सामग्री को हटाने का कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि किसी को कोई क्षति न पहुंचे।

संरचना/संपत्तियों/और सेवाओं से कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो या निवासियों और आम जनता के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ठेकेदार को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे जनता, क्षेत्र के आसपास की संपत्तियों और निवासियों की सुरक्षा तथा उसके किसी भी सदस्य को चोट लगने से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

ऐसी किसी भी क्षति या हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुहर।

किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, ठेकेदार को तुरंत पुलिस, मालिक और उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

कानून के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विघटन उपयुक्त औजारों और उपकरणों के साथ धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, बिना आसन्न को नुकसान पहुंचाए।

संरचना का हिस्सा, या संरचना का बरकरार रखा गया हिस्सा।

क्षेत्र से होकर गुजरने वाली और/या अन्य क्षेत्रों में सेवा देने वाली किसी भी सेवा को, यदि आवश्यक हो, ठेकेदार द्वारा अपने स्थान पर मोड़ दिया जाएगा।

लागत, मालिक/वास्तुकार/सलाहकार की संतुष्टि के अनुसार। ठेकेदार, ठेकेदार की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।

अपने कार्य क्षेत्र के भीतर विद्युत वायरिंग, पानी की लाइनें और अन्य सेवाएं, जुड़नार और स्थापनाएं और किसी भी मामले में

यदि कोई क्षति, सेवाओं में व्यवधान आदि होता है तो उसे तत्काल अपने खर्च पर इसकी भरपाई करनी होगी।

दिन भर के कार्य के बाद सभी ध्वस्त सामग्री, कूड़ा-कचरा और मलबे को परिसर से हटा दिया जाएगा।

निराकरण का कार्य पूरा होने के बाद, साइट को ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार साफ-सुथरा रखा जाएगा।

मालिक/वास्तुकार/सलाहकार.

3.0 सामग्री

3.1 हार्डवेयर और धातु

संपूर्ण हार्डवेयर अनुमोदित निर्माता या आपूर्तिकर्ता का होना चाहिए, अच्छी तरह से बनाया गया होना चाहिए और हर मामले में समकक्ष होना चाहिए।

नमूने सलाहकारों के पास जमा करने होंगे। यदि आवश्यक हो, तो ठेकेदार को नमूने तैयार करके उपलब्ध कराने होंगे।

सलाहकारों द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले विभिन्न स्रोतों से परामर्श करना चाहिए और उन्हें सलाहकारों को अपनी दरें भी बतानी चाहिए।

ऐसा करने के लिए, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर बातचीत का विषय हो सकता है।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, फिटिंग सामान्यतः पीतल ऑक्सीकृत होनी चाहिए तथा अपने इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

इसे परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें किसी भी स्थिति में अपनी दरें परामर्शदाताओं को ही बतानी चाहिए।

स्कू को वस्तु की फिनिश से मेल खाना चाहिए, जिसे स्थिर किया जाना चाहिए और गोल या सपाट सिर वाला या काउंटर सिंक होना चाहिए।

आवश्यक।

पीतल और कांसे की सुरक्षा के उद्देश्य से, ठेकेदार को उक्त सतह को ग्रीस की मोटी परत से ढक देना चाहिए।

या अन्य उपयुक्त सुरक्षात्मक सामग्री, आवश्यकतानुसार नवीनीकृत करें और बाद में साफ करें और कनेक्शन को हटा दें।

एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील का उपयोग अनुमोदित निर्माता द्वारा निर्मित तथा उसके विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

आम तौर पर, एल्यूमीनियम सतह पर एनोडाइज्ड फिनिश होनी चाहिए और दोनों को नमूनों के अनुरूप होना चाहिए

सलाहकारों द्वारा अनुमोदित। सभी स्टेनलेस स्टील शीट को 304 एसएस जापान या गेज के समकक्ष के अनुरूप होना चाहिए।

विनिर्देश के अनुसार लेकिन 16 जी से पतला नहीं होना चाहिए।

सलाहकारों द्वारा यह आवश्यक है कि सभी स्टील, पीतल, कांस्य, एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं का परीक्षण किया जाना चाहिए।

ठेकेदार के खर्च पर शक्ति के लिए उचित परीक्षण।

विशेष रूप से जहां खुला हो, वहां सभी कांसीकरण और वेल्ड को साफ और चिकनी तरीके से रगड़कर किया जाना चाहिए।

फ्लैटों और सुव्यवस्थित तरीके से छोड़ दिया गया।

महत्वपूर्ण

ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्भूत वस्तुएं संबंधित व्यापार में उपरोक्त सामग्रियों के वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित होनी चाहिए।

नाम/चिह्न.

यदि किसी विशेष व्यापारिक नाम वाली कोई सामग्री वास्तविक निष्पादन के समय या अन्यथा उपलब्ध नहीं है, तो

सलाहकार की इच्छा के अनुसार, निविदाकर्ता को समान विनिर्देश के साथ अलग-अलग व्यापारिक नामों में समान सामग्री उपलब्ध करानी होगी।

और लगभग समान मूल्य सीमा, परामर्शदाता/ग्राहक की स्वीकृति और अनुमोदन के अधीन।

4.0 प्लास्टिक इमल्शन

प्लास्टिक इमल्शन पेंट की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

1. सभी पेंट के डिब्बे केवल कार्य स्थल पर ही खोले जाएंगे।
2. मौजूदा काम को सैंड पेपर से साफ़ करें। पहले 100/80 नंबर वाले पेपर से, फिर 0 नंबर वाले पेपर से और बैंक के निर्देशानुसार सतह को साफ, चिकना, सूखा तथा धूल और ग्रीस आदि से मुक्त बनाना।
3. यदि पहले की कोटिंग तेल आधारित या सिंथेटिक इमल्शन आधारित पेंट की है तो उसे पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतह को चिकना किया जाना है। हालाँकि, यदि मौजूदा पेंट लाइम वॉश, पाउडर डिस्टेंपर आदि है, तो मूल पेंट को पूरी तरह से हटा दिया गया।
4. दीवार की सतहों और रिसाव आदि से प्रभावित सतहों के पुनः प्लास्टर का कार्य (यदि कोई हो), (इसका भुगतान अलग से किया जाएगा) पेंटिंग से पहले।
5. अंत में, 1 भाग व्हाइटिंग से तैयार पुट्टी लगाकर दीवार के गड्ढों और दरारों को चिकना करें। (एशियाई निर्मित) और 1 भाग एचकोलाइट सुपर ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट। डीबी लिप सीड ऑयल की थोड़ी मात्रा लगभग 2% पुट्टी में वजन जोड़ा जा सकता है।
6. अतिरिक्त पुट्टी को हटाना और सैंड पेपर से खुरचना,
7. पुट्टी के ऊपर डेको प्राइम सिंथेटिक सीमेंट प्राइमर सॉल्वेंट उपलब्ध कराना और लगाना (थिनर 101 का उपयोग किया जाना चाहिए)।
8. इसे कम से कम 12 घंटे तक सूखने दें।
9. निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार इमल्शन पेंट के 3 कोट प्रदान करना और लगाना। 4 घंटे का अंतराल किसी भी दो कोट के बीच रखा जाना चाहिए।
10. अंतिम कोट के साथ रोलर का उपयोग किया जाना है।
11. 15 C, दोहरे ब्रिसल वाले ब्रश का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक दिन के काम के बाद ब्रश को साफ़ किया जाना चाहिए।

5.0 ऑयलबाउंड डिस्टेंपर/ऐक्रेलिक डिस्टेंपर:

प्लास्टिक इमल्शन के समान, सिवाय इसके कि इमल्शन पेंट के स्थान पर तेल से बंधे डिस्टेंपर का उपयोग किया जाता है।

स्वीकृत किया जाना है

6.0 एनामेल पेंट: _____

लकड़ी के काम में: _____

यदि पुराना पेंट मजबूत और ठोस है और उसे हटाना अनावश्यक समझा जाता है, तो सतह को प्रीमिस से रगड़ दिया जाना चाहिए। पत्थर को चूने से धोकर, धोकर और सुखाकर सारी धूल और चिकनाई साफ़ कर लें। फिर सतह को साबुन और पानी से धोएँ। अगर पुरानी पेंट की गई सतह पर छाले पड़ गए हैं, तो पुराना पेंट पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। छेद, दरारें, डेंट और सतह की खामियों को निटिंग पोस्ट फिलर से भरना है। थिनर के साथ बुड प्राइमर का एक कोट लगाना है। स्वीकृत सफ़ेद शेड प्राइमर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कम से कम 12 घंटे सूखने के बाद, स्वीकृत इनेमल का पहला कोट लगाएँ। पहले पतला मिश्रण बनाएं और 8 घंटे बाद दूसरा कोट लगाएँ।

7.0 लोहा और इस्पात का काम

यदि पुराना पेंट कठोर हो गया है और उसे हटाना अनावश्यक समझा जाता है, तो उसे तार वाले ब्रश से रगड़कर साफ़ कर देना चाहिए। तार वाले ब्रश से केवल ढीला पेंट हटाया जाएगा। फिर सारी धूल अच्छी तरह पोंछ दी जाएगी। इसके बाद सतह को अंत में ग्रीस हटाने के लिए तारपीन से पोंछा जाता है और फिर सूखने दिया जाता है। अगर पुरानी पेंट की हुई सतह खराब स्थिति में है और यदि पेंट पर छाले पड़ गए हैं और वह उखड़ गया है, तो पुराने पेंट को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

अगर गह्वे या खामियों हैं, तो उन्हें फिलर से भर देना चाहिए। मेटल प्राइमर सतह (सफ़ेद) का एक कोट लगाना चाहिए। लगाया गया। रात भर सूखने के बाद, थिनर का उपयोग करके सिंथेटिक इनेमल लगाएँ। सिंथेटिक इनेमल का एक और कोट लगाना है। दो कोटों के बीच 8 घंटे का अंतराल रखने के बाद।

8.0 पेंटिंग के लिए कार्य की प्रक्रिया.

1. पेंटिंग के प्रत्येक चरण के लिए बैंक की स्वीकृति लेनी होगी। निम्नलिखित के लिए पहले स्वीकृति लेनी होगी प्रत्येक फ्लैट के लिए कार्य के अगले चरण की ओर अग्रसर होना।
 - a) स्क्रेपिंग पूरी होने के बाद। b) पुट्टी लगाने के बाद और सैंड पेपर लगाने के बाद। c) प्राइमर लगाने के बाद। d) पहला कोट लगाने के बाद। e) दूसरा कोट लगाने के बाद। f) तीसरा कोट लगाने के बाद।

2. यदि फ्लैट में पुनः प्लास्टर का कोई क्षेत्र है तो उसे पेंटिंग कार्य शुरू करने से पहले संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, अन्यथा भुगतान के लिए क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

जब तक इस अनुबंध में अन्यत्र निर्दिष्ट न किया गया हो, इस अनुबंध के अंतर्गत सभी कार्य निम्नलिखित के अनुसार किए जाएंगे:
तकनीकी विनिर्देश और भारतीय मानक विनिर्देश का नवीनतम अंक विशेष वर्ग पर लागू होता है
कार्य, प्रासंगिक ब्रिटिश मानक विनिर्देश लागू होंगे। आईएस विनिर्देश का प्रासंगिक मुद्रा लागू होता है
प्रत्येक विशेष कार्य का विवरण संबंधित कार्यों के विनिर्देशों के साथ दिया गया है। यदि मुझे कोई भ्रम हो, तो कृपया
संबंधित कार्यों के लिए किसी भी विनिर्देश के अर्थ और व्याख्या के संबंध में विवाद, का निर्णय
आर्किटेक्चर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

सिविल और फर्नीचर-फिक्सचर कार्य के लिए अनुमोदित ब्रांड और/या निर्माता के लिए सामग्री की सूची

एसएल संख्या	विवरण	अनुमोदित ब्रांड / निर्माता
1	साधारण पोर्टलैंड / ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट एसीसी, एलएंडटी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ओपीसी ग्रेड 53।	
2	रँगना	आईसीआई डुलक्स / एशियन पेंट्स / बर्जर
3	लकड़ी परिरक्षक	ब्रिटिश पेंट्स द्वारा बाइसन / पीसीआई द्वारा टर्मिसेल
4	प्लाईवुड	सारदा प्लाईवुड ड्यूरो प्लाई (एमआर ग्रेड) / ग्रीन प्लाई इकोटेक (एमआर ग्रेड) / यूआरओ प्लाई (एमआर ग्रेड)
5	लैमिनेट	ग्रीन/ सेंचुरी / आर्किडप्लाई
6	झूठी छत	आर्मस्ट्रांग, भारतीय जिप्सम बोर्ड
7	चिपकने वाला/गोंद	फेविकोल एसएच
8	शिकंजा	GKW / बिड्डुआ तह
9	ताले	Godrej
10	नाइट लैच	Godrej
11	ग्लास	मोदी / असाही / संत गोबिन
12	एल्युमीनियम डोर फ्रेम	Jindal
13	एल्युमीनियम क्लैडिंग	यूरोबॉन्ड / अल्टोबॉन्ड / अलुकबॉन्ड
14	कीबोर्ड	ईबीसीओ
15	टेलीस्कोपिक सीपीयू स्टैंड	ईबीसीओ
16	केबल ऑर्गनाइजर (वायर मैनेजर)	ईबीसीओ
17	विट्रिफाइड टाइल्स	यूरो / आरयूआर
11	फ्लश डोर (इंजीनियर्ड वुड फिलर) 8 यूपीवीसी दरवाजे/खिड़कियां	ग्रीन / सेंचुरी / ऑस्टिन
		फेनेस्टा/ रेहाऊ/ प्रोमिनेंस
10	वर्टिकल ब्लाइंड्स	विस्टा लेवोलर / मार्वल / हंटर डगलस
15	पीवीसी फिल्म	3 एम मेक
16	रोलिंग शटर	बंगाल या समतुल्य।
18	वॉल पेपर	ग्रीन इंटीरियर्स
19	एसीपी (4मिमी/3मिमी/2मिमी)	अलुडेकोर/अलमस्ट्रांग/यूरोबॉन्ड
20	कचरा डिब्बे	स्टील जंक्शन

- नोट: 1) बैंक/आर्किटेक्चर के पास ठेकेदार पर किसी विशिष्ट ब्रांड/निर्माण आदि के उपयोग के लिए दबाव डालने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2) चित्रों के साथ-साथ मात्रा के बिल में उल्लिखित प्लाईवुड केवल एमआर ग्रेड का होना चाहिए।
- 3) यदि उपरोक्त ब्रांडों से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो बैंक/वास्तुकार निम्नलिखित ब्रांडों के नाम सुझाएंगे: अन्य ब्रांडों/निर्माताओं और ठेकेदारों को भी इसका पालन करना होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर